प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना चांदीनगर **दिनाँक 04-07-2026**

ऑपरेशन स्माईल के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस ने ग्राम पांची जंगल में मिले 02 नाबालिक लड़कों को उनके परिजनों के किया सुपुर्द।

कार्यवाही-

आज दिनांक 04.07.2026 को थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा रात्रि गश्त के दौरान समय लगभग 03:00 बजे ग्राम पांची के जंगल क्षेत्र में दो नाबालिग बच्चे संदिग्ध अवस्था में मिले। पूछताछ करने पर दोनों बच्चे द्वारा बताया गया कि वे सर्वोदय संस्कृत आश्रम, बालैनी में अध्ययनरत हैं तथा रात्रि लगभग 01:00 बजे आश्रम/हॉस्टल से निकलकर चले गए थे।

थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा तत्काल बच्चों के परिजनों एवं आश्रम प्रबंधन से संपर्क स्थापित कर आवश्यक पूछताछ के उपरांत दोनों बच्चों को सकुशल उनके परिजनों के सुपुर्द किया गया।

बच्चों के सकुशल मिलने पर परिजनों एवं आश्रम प्रबंधन द्वारा बागपत पुलिस का आभार व्यक्त करते हुए पुलिस के मानवीय एवं संवेदनशील कार्य की भूरि-भूरि प्रशंसा की गई।

बरामद/सुपुर्द करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री सुभाषचन्द्र यादव थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

2-का0 1023 गणेश कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

3-का0 883 उमाशंकर थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

प्रेस नोट

थाना दोघट दिनाँक-04.07.2026

थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 214/2026 धारा 305(a) बीएनएस से सम्बन्धित 01 बाल अपचारी के विरूद्ध की कार्यवाही।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 03.07.2026 को थाना दोघट पर वादी श्री विकास कुमार पुत्र रमेशचन्द्र निवासी ग्राम बामनौली थाना दोघट जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि बालअपचारी के द्वारा उसके घर से रात्रि में 97,000 रूपये चोरी कर लिए गए। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना दोघट पर मु0अ0सं0 214/2026 धारा 305(a) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने पर मु0अ0सं0 214/2026 धारा 305(a) बीएनएस से सम्बन्धित बाल अपचारी के विरूद्ध कार्यवाही की गयी है, जिसके कब्जे से चोरी गये 97,000 रूपये में से 39,500/-रूपये बरामद हुए हैं एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

- चोरी गये 97000/- रूपये में से 39500/- रूपये।

कार्यवाही करने वाली वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री प्रान्शु राजपूत थाना दोघट जनपद बागपत।
2-म0उ0नि0 नीरज चौधरी थाना दोघट जनपद बागपत।
3-का0 951 पिताम्बर थाना दोघट जनपद बागपत।
4-रि0का0 59 पारस शर्मा थाना दोघट जनपद बागपत।
5-रि0का0 517 अभिषेक यादव थाना दोघट जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत **दिनांक 04.07.2026**

थाना कोतवाली बड़ौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 353/26 धारा 103(1)/238 बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 24.05.2026 को थाना बडौत पर आवेदक इस्तकार पुत्र रसीद निवासी मौहल्ला खैलकला कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1.आस मौहम्मद उर्फ आसू पुत्र इशाक 2.दीन मौहम्मद पुत्र इशाक, 3.इशाक पुत्र सीदा, 4.एक महिला व 5.मुरसलीन पुत्र नामालूम निवासीगण ग्राम खेड़ा कुरतान थाना कांधला जनपद शामली हालनिवासी चाँद मिया के भट्टे पर ग्राम ट्योढ़ी थाना बड़ौत जनपद बागपत के द्वारा वादी की बहन के साथ फावड़ा, ईंटों एवं डंडो से मारपीट करते हुए उसकी गला दबाकर हत्या कर देना तथा मृतका इशरत के शव को साक्ष्य मिटाने की नियत से चाँद मियाँ के भट्टे स्थित ग्राम ट्योढ़ी से अपने ग्राम खेडा कुरतान ले जाना। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बड़ौत पर मु0अ0सं0 353/26 धारा 103(1)/238 बी.एन.एस. पंजीकृत किया गया।

नोट- उपरोक्त अभियोग में थाना बडौत पुलिस द्वारा दिनांक 25-05-2026 को अभियुक्त आस मौहम्मद उर्फ आसू पुत्र इशाक को गिरफ्तार किया जा चुका है।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 353/26 धारा 103(1)/238 बी.एन.एस. में वांछित 01

अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया जिसके सम्बन्ध में थाना बडौत पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

इशाक पुत्र सीदा निवासी ग्राम खेडा कुरतान थाना काँधला जनपद शामली

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-निरी0 अप0 श्री वीरेन्द्र सिंह थाना बडौत, बागपत
2-उ0नि0 श्री सिद्धार्थ सक्सेना थाना बड़ौत जनपद बागपत।
3-का0 399 राहुल चौहान थाना बड़ौत जनपद बागपत।
4-रि0का0 183 दलवीर सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।

प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत **दिनाँक 04.07.2026**

थाना कोतवाली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 383/26 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2) बीएनएस से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना मे प्रयुक्त एक लैपटॉप व एक मोबाईल फोन बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 383/26 धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त आशुतोष को गिरफ्तार किया गया है। जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक लैपटॉप व एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- उपरोक्त अभियोग में दिनांक 28-06-2026 को 01 अभियुक्त 1.जाहिद उर्फ लालू पुत्र ताहिर अली निवासी ग्राम निवाडा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत को गिरफ्तार किया जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

आशुतोष पुत्र सुभाष निवासी ओल्ड हमीदा थाना सदर यमुनानगर जनपद यमुनानगर (हरियाणा)

बरामदगी का विवरण-

- लैपटॉप घटना से सम्बधित
- मोबाईल फोन घटना से सम्बधित

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1-निरी0 श्री संजीव कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत

2- उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार यू0पी0 एसटीएफ मेरठ मय टीम